



क्र./मुख्या./उद्यान/संकर सब्जी/2025-26/963

दिनांक - 24/6/25

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय-वर्ष 2024-25 के लिए संकर सब्जी बीज की प्रसारित की गई क्रय-विक्रय दरों की वैधता अवधि बढ़ाने बाबत।
संदर्भ-निगम का पत्र क्रं 3966 दिनांक 07.02.2025

निगम द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए संकर सब्जी बीज के प्रदाय हेतु प्रसारित दरों की वैधता अवधि में दिनांक 31.03.2025 अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक के लिए वृद्धि की गई थी।

निगम व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए एवं नवीन आर.सी.ओ. में लगने वाले समय के कारण पूर्व प्रसारित दरों की वैधता अवधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती हैं :-

क्रं.	सामग्री का विवरण	निगम दर प्रसारण पत्र क्रं./दिनांक	वैधता अवधि में प्रस्तावित वृद्धि
1.	Hybrid Vegetable Seeds	1. 4175/28.03.2024 2. 758/10.06.2024 3. 994/28.06.2024	दिनांक 30.07.2025 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक वैध

उपरोक्तानुसार सामग्रियों की दरें दिनांक दिनांक 30.07.2025 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक के लिये वृद्धि की जाती है, सामग्री प्रदाय से संबंधित सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेंगी।

नोट- निगम द्वारा पत्र क्रं 98 दिनांक 24.03.2025 से मेसर्स अस्मी इंटरप्राइजेज के अनुबंध को निरस्त किया गया है। मेसर्स अस्मी इंटरप्राइजेज की दरें वर्तमान में प्रभावशील नहीं है।

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

964
24-6-25

1. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल।
4. मुख्य वन संरक्षक/अनुसंधान एवं विस्तार, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (समस्त)।
6. उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (समस्त)।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मेसर्स.....की ओर सूचनार्थ।
9. mpfst.helpdesk@mp.gov.in की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंधक (उद्यान)

प्रबंधक (उद्यान)